(v) FOOD-FOR-WORK PROGRAMME

श्री बी. डी. सिंह (फूलपूर): उपाध्यक्ष महोदय, मैं एतद् द्वारा माननीय कृषि एवं ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्री का ध्यान "काम के बदले अनाज" योजना की ओर आकृष्ट चाहता हूं । व्यावहारिक दृष्टि से यह योजना इस समय पूर्ण रूप से रूक गई है । गत वर्ष भयंकर सूखे के समय यह कार्यक्रम कृषि श्रमिकों के लिए वरदान सिध्द हुई थी । इससे उन्हें रोजी-रोटी का सहारा मिल गया था और बहुत बड़े पैमाने पर ग्रामीण क्षेत्रों में तालाबों एवं सड़कों का निर्माण भी हो गया था । इस कार्यक्रम से प्रभावित होकर सरकार ने भी अपने आर्थिक सर्वेक्षण में कहा है, "इस कार्यक्रम को सुदृढ़ बनाया जाना है तथा बड़े पैमाने पर इसका विस्तार किया जाना है, क्योंकि इसमें आने वाले वर्षों में ग्रामीण रोजगार के अवसर पैदा करने के कार्य में प्रमुख भूमिका अदा करने की क्षमता है। माननीय वित्त मंत्री ने भी अपने बजट भाषण में कहा था कि नए राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अंतर्गत राज्यों को केवल अनाज के रूप में ही नहीं, बल्कि नकदी सहायता भी दी जाएगी और बजट में इस कार्यक्रम के लिए 340 करोड़ रूपए की व्यवस्था की गई है ।

परन्तु खेद है कि इस भयंकर मूल्यवृध्दि एवं आर्थिक थपेड़ों से त्रस्त गरीब श्रमिकों का जीवन आधार ही छीन लिया गया। भारतीय कृषि में दिसम्बर से फरवरी ऐसे महीने होते हैं, जब कृषि श्रमिकों को कोई काम नहीं मिलता। उन्हें अपनी भूख मिटाने तक का साधन नहीं उपलब्ध हो पाता। इन परिस्थितियों में इस कार्यक्रम को हर संभव प्रयास करके चलाया जाना चाहिए। केन्द्र सरकार प्रांतीय सरकारों से तुरन्त वस्तुस्थिति की जानकारी करें और उन्हें इस कार्यक्रम को अबाधगति से चलाने के लिए आवश्यक खाद्यान्न एवं नकदी की व्यवस्था करें। अतएव सरकार का यह नैतिक उत्तरदायित्व है कि काम के बदले अनाज योजना को वह प्राथमिकता के आधार पर चलाती रहे। इसके अन्तर्गत सड़क एवं तालाब निर्माण, वृक्षारोपण, भूसंरक्षण, जलनिकास, सार्वजनिक भवन निर्माण आदि संबंधी कार्य सुविधा पूर्वक लिए जा सकते हैं।

इस संबंध में माननीय मंत्री जी का ध्यान इस कार्यक्रम में व्याप्त अनियमितताओं की ओर भी आकर्षित करना चाहूंगा । पिछले 8-10 माह में इसमें बड़ी-बड़ी अनियमितताएं हुई हैं। निसहाय गरीबी के मुंह की रोटी लूटनेवालों के प्रति आवश्यक कार्यवाही अवश्य होनी चाहिए। प्रत्येक जनपद में एक जांच समिति का गठन होना चाहिए। जांच समिति में सभी दल के लोग एवं उपयुक्त अधिकारी हों और समिति एक निर्धारित अवधि के अन्दर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करे समिति यह भी सुझाव दे कि इस कार्यक्रम को अधिक प्रभावकारी ढंग से कैसे चलाया जाए, इस प्रकार के भ्रष्टाचार में लिप्त अधिकारियों को यदि समुचित दण्ड नहीं मिलता, तो प्रभावकारी लोग एवं अधिकारी अनुचित लाभ उठाते रहेंगे और असहाय गरीब का सदैव इसी प्रकार शोषण होता रहेगा ।

(vi) RETRENCHED GOVERNMENT EMPLOYEES OF BEAS PROJECT.

SHRI SUSHIL BHATTACHARYA (Burdwan): Sir, about 1,600 employees belonging to 63 categories of Beas project have been continuously going on 24 hour chain hunger strike since 2-12-79 for one year. Now one meployee is on fast unto death since 2-12-80. All these days they were protesting against the wrong policies of the Ministry of Energy by which the directly recruited employees of Central Government and are working for the last 14 years are to be declared surplus, and ultimately retrenched, whereas employees of various State Governments, who are working on deputation on this project, are to be retained for operation and maintenance works. These employees demand that as Beas Construction Board, as well as the Bhakra Beas Management Board, both are instruments of the Government of India the 61,00 quasi permanent Central Government employees should have preferential right than the deputationiists to work on the posts of Base Project, when these posts are transferred along with Beas Construction Board to the Bhakra Beas Management Board.

(Shri Sushil Bhattacharya.)

I, therefore urge upon the Government that all the deputationists from State Governments should be sent back to their parent departments concerned so that these quasi permanent Central Government employees can be retained on the project, which is otherwise also their legal right as per various rules, regulations and administrative instructions of Government of India.

(vii) DECLARATION OF LADAKH AS SCHEDULED AREA

DR. KARAN SINGH (Udhampur): Ladakh is one of the most sensitive and backward areas in the entire country. Although the population is small, it covers a huge area not occupies one of the most important locations on our northern borders. That area has been subject to aggression and many thousands of square miles of Indian territory are still under adverse occupation. In view of this. I have been stressing for many years that a special administrative structure should be developed in this area to expedite economic development and meet the urges and aspirations of the people. Unfortunately, this has not been done, and the present State Government continues its attitude of neglect against Ladakh.

As a result of this, there have been distrubances in Zanskar and Leh recently, and over the last week the situation has deteriorated and the police has indulged in lathi-charge and other repressive activities, I would urge that the Government of India should take cognisance of the situation in Ladakh before it deteriorates further, and should take effective steps to ensure the welfare and the progress of the people living in Ladakh. My suggestion is that Ladakh should be declared a Scheduled Area so that, while remaining a part of Jammu and Kashmir State, it receives Special attention. Then only will our larger national and strategic interests in the area be fully safeguarded.

(viii) DELHI HIGH COURT DECISION TO REINSTATE DR. L. P. AGARWAL AS DIRECTOR OF ALL INDIA INSTITUTE OF MEDICAL SCIENCES.

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (नई दिल्ली): दिल्ली हाई कोर्ट ने आल इंडिया इंस्टीट्यूट आफ साइंसेज के डायरेक्टर के पद पर डा. एल. पी. अग्रवाल को पुन: नियुक्त कर दिया है। हाई कोर्ट ने डा. अग्रवाल को डायरेक्टर के पद से हटाने के 24 नवम्बर के इंस्टीट्यूट की गवर्निंग बोर्ड के फैसले को रद्द कर दिया है। इंस्टीट्यूट के गवर्निंग बोर्ड के अध्यक्ष इस समय स्वास्थ्य मंत्रालय के सचिव है। डा. अग्रवाल को हटाने का प्रस्ताव बोर्ड की बैठक में स्वास्थ्य सेवाओं के डायरेक्टर जनरल ने रखा था। यह प्रस्ताव उस दिन की कार्य-सूची में नहीं था। डा. अग्रवाल की नियुक्ति केन्द्रीय सरकार द्वारा हुई थी, उन्हें हटाने का फैसला भी केन्द्रीय सरकार द्वारा किया जाना चाहिए था। इस मामले में स्वास्थ्य मंत्री अपनी जिमेदारी का पालन करने में असफल रहे है। दिल्ली हाई कोर्ट का यह फैसला सरकार द्वारा सत्ता के दुरुपयोग का द्योतक है।

13.00 hrs.

The Lok Sabha adjourned for Lunch till Fourteen Hours of the Clock.

The Lok Sabha re-assembled after Lunch at four minutes past Fourteen of the Clock

[MR. DEPUTY SPEAKER *in the Chair*]

STATEMENT RE FUNCTIONING OF AIR AND DOORDARSHAN IN REPLY TO A MATTER RAISED UNDER RULE 377

THE MINISTER OF INFORMATION AND BROADCASTING (SHRI VASANT SATHE): Hon'ble Member of Parliament, Shri Chandrajit Yadav, had raised a matter under Rule 377 in the House on 4-12-1980. He had *inter alia* alleged that All India Radio and Doordarshan are not objective and impartial in their broadcasts and they black out the opposition view-points systematically in the news bulletins as well as in "Today in Parliament" He had also said that All India Radio and Doordarshan have not not been